कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय,स्वशासी समिति, भोपाल
Phone: 0755-2540590,4141042 **Email:** gmcparamedical@gmail.com, deangmc_bpl@yahoo.co.in **Website**-www.gmcbhopal.net

क्रमांक 17262-69/एम.सी./पैरा0/2026 भोपाल, दिनांकः 08/05/2026

पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2025–26 में प्रवेश हेतु विज्ञापन

// प्रवेश विज्ञप्ति //

स्व–वित्त पोषित(Self Finance) पाठ्यक्रम के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025–26 में, मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद् से मान्यता प्राप्त निम्नांकित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं–

कोर्स कोड क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	विभाग	डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम	योग्यता/अहर्ता	कोर्स की आवधि	कुल सीटों की संख्या
01	O.T. Technician	Surgery	Certificate	12वीं (बायोलाजी)	01 वर्ष	40
02	X-Ray (Radiographer) Technician(CXRT)	Radiodiagnosis	Certificate	12वीं (बायोलाजी)	01 वर्ष	30
03	Heath Inspector	PSM	Certificate	12वीं (बायोलाजी)	01 वर्ष	10
04	Cath Lab Technician(DCLT)	Cardiology	Diploma	12वीं (बायोलाजी)	02 वर्ष	20
05	Medical Lab Technician(DMLT)	Pathology	Diploma	12वीं (बायोलाजी)	02 वर्ष	100
06	Paramedical Opthalmic Assistant(DOA)	Ophthalmology	Diploma	12वीं (बायोलाजी)	02 वर्ष	30
07	Diploma in P.F.T. Technician	Respiratory Medicine	Diploma	12वीं (बायोलाजी)	02 वर्ष	05
08	X-Ray (Radiographer) Technician(DXRT)	Radiodiagnosis	Diploma	12वीं (बायोलाजी)	02 वर्ष	50
09	Dialysis Technician(DDT)	Medicine	Diploma	12वीं (बायोलाजी)	02 वर्ष	40
10	Bachelor in Respiratory Therapy(BRT)	Respiratory Medicine	Degree	12वीं (बायोलाजी)	03 वर्ष	10
11	P.G. Diploma in Perfusion Technology(PGDPT)	Cardiothoresic Surgery	Diploma	बी.एस.सी.(Biology with Zoology)	02 वर्ष	25

महत्वपूर्ण तिथियां	
ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रारम्भ तिथि	12.05.2026
ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	22.05.2026
जमा ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि	23.05.2026
काउंसलिंग के प्रथम चरण की संभावित तिथि	29.05.2026 से 05.06.2026
काउंसलिंग के द्वितीय चरण की संभावित तिथि	09.06.2026 से 10.06.2026
काउंसलिंग के मॉप–अप चरण की संभावित तिथि	13.06.2026

आवेदन शुल्क	
अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों हेतु	रूपये 700/– (MP Online का पोर्टल चार्ज अतिरिक्त देय होगा)
आरक्षित श्रेणी (SC/ST/OBC/EWS) के आवेदकों हेतु	रूपये 650/– (MP Online का पोर्टल चार्ज अतिरिक्त देय होगा)
ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु	MP Online द्वारा निर्धारित पोर्टल चार्ज

आवेदन पत्र केवल एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से भरने पर ही स्वीकार किये जावेगे। किसी भी प्रकार के अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेगें।

RKVanl
08/05/2026
Co-ordinator
Paramedical Courses
Gandhi Medical College, Bhopal

8/5/26
DEAN
GANDHI MEDICAL COLLEGE
BHOPAL

विज्ञापन से संबंधित आवश्यक जानकारी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, म0प्र0 की वेबसाईट **www.gmcbhopal.net** पर उपलब्ध है तथा प्रवेश प्रक्रिया एवं Counselling से संबधित समस्त सूचना महाविद्यालय के सूचना पटल एवं बेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जायेगी। इस हेतु उक्त वेवसाइट का समय–समय पर अवलोकन करते रहें, अन्यथा किसी भी परिस्थिति में महाविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

नोटः– (क) कोर्स कोड क्र. 01 से 10 तक के इच्छुक अभ्यर्थियों को एक ही आवेदन करना होगा
(ख) कोर्स कोड क्र. 11 पी0जी0 डिप्लोमा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी कोर्स के इच्छुक अभ्यर्थियों को पृथक से आवेदन पत्र जमा करना अनिवार्य है।

विस्तृत विवरण, परिनियम, उपबंध एवं निर्देश नियम एवं शर्तें/Rule Book:–

1. आरक्षण :–

मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद् भोपाल द्वारा अधिसूचित निर्देशानुसार उपलब्ध स्थानों में से अधिकतम दस प्रतिशत स्थान विभागीय कर्मचारियों हेतु आरक्षित है। शेष उपलब्ध स्थानों में प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित एवं वर्तमान में प्रभावशील आरक्षण नियमों के प्रावधान लागू होंगे।

2. पाठ्यक्रम शुल्क विवरण– प्रवेश के समय कॉशनमनी 5,000 रूपये/ जमा करना अनिवार्य है ,जो कि कोर्स पूर्ण होने पर छात्र/छात्राओं को वापस लौटा दी जायेगी।

एक वर्षीय प्रमाण पत्र (Certificate)							
अध्ययन वर्ष	प्रशिक्षण शुल्क	प्रयोगशाला शुल्क	शैक्षणिक शुल्क	आंतरिक मूल्यांकन	कॉशन मनी	प्रथम किश्त प्रवेश के समय/जून	द्वितीय किश्त (दिसम्बर)
प्रथम वर्ष	42860	1000	1000	1000	5000	21430+5000+3000=29430	21430
(एक वर्षीय प्रमाण पत्र) कुल योग– रूपये 50,860/–							
दो वर्षीय डिप्लोमा/पी.जी. डिप्लोमा							
अध्ययन वर्ष	प्रशिक्षण शुल्क	प्रयोगशाला शुल्क	शैक्षणिक शुल्क	आंतरिक मूल्यांकन	कॉशन मनी	प्रथम किश्त प्रवेश के समय/जून	द्वितीय किश्त (दिसम्बर)
प्रथम वर्ष	59360	1000	1000	1000	5000	29680+5000+3000=37680	29680
द्वितीय वर्ष	59360	1000	1000	1000	निरंक	29680+3000=32680	29680
(दो वर्षीय डिप्लोमा/पी.जी. डिप्लोमा) कुल योग– रूपये 1,29,720/–							
तीन वर्षीय डिग्री							
अध्ययन वर्ष	प्रशिक्षण शुल्क	प्रयोगशाला शुल्क	शैक्षणिक शुल्क	आंतरिक मूल्यांकन	कॉशन मनी	प्रथम किश्त प्रवेश के समय/जून	द्वितीय किश्त (दिसम्बर)
प्रथम वर्ष	92300	1000	1000	1000	5000	46150+5000+3000=54150	46150
द्वितीय वर्ष	92300	1000	1000	1000	निरंक	46150+3000=49150	46150
तृतीय वर्ष	92300	1000	1000	1000	निरंक	46150+3000=49150	46150
(तीन वर्षीय डिग्री) कुल योग– रूपये 2,90,900/–							

3. मूल निवासी पात्रता :–

मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी मूलनिवासी प्रमाण–पत्र धारी अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी।

4. शैक्षणिक योग्यता एवं अहर्ता योग्यताः–

(क) राज्य अथवा केन्द्रीय शासन द्वारा संचालित शिक्षा मंडल(MP Board/CBSE/ICSE) द्वारा 10+2 उच्चतर माध्यमिक प्रणाली में आयोजित जीव विज्ञान विषय समूह(कोर्स कोड क्र0 01 से 10 तक) या बी.एस.सी.(Biology with Zoology) (कोर्स कोड क्र0 11 के लिये) में नियमित छात्र के रूप में परीक्षा

RKvarul
08/06/2026 Coordinator
Paramedical Courses
Gandhi Medical College, Bhopal

DE.
GANDHI MEDICAL COLLEGE
BHOPAL

उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देते हुये काउंसलिंग के सभी चरणों में मेरिट अनुसार प्रवेश दिया जावेगा।

(ख) काउंसलिंग के मॉपअप चरण में सीट रिक्त होने की स्थिति में ही (1)दूरस्थ शिक्षण संस्थान(Distance Learning) या (2) ओपन स्कूल या (3) संस्कृत बोर्ड या (4) उर्दू बोर्ड या (5) राजीव गांधी शिक्षा मिशन एवं अन्य मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डलों या (6) अर्हता परीक्षा को अतिरिक्त विषय के रूप में बाद के वर्ष में उत्तीर्ण करने वाले या (7) अन्य राज्यों के मूल निवासी अभ्यर्थियों को मेरिट रैंक के अनुसार प्रवेश दिया जावेगा।

(ग) **शैक्षणिक सत्र 2025–26 में प्रवेश हेतु आवश्यक अर्हता परीक्षा को वर्ष 2025 या उससे पूर्व उत्तीर्ण हुये अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।**

अर्हता न्यूनतम प्राप्तांक:

अनारक्षित संवर्ग हेतु	:	40% (चालीस प्रतिशत)
आरक्षित संवर्ग हेतु	:	33% (तैंतीस प्रतिशत)

5. आयु पात्रता : –

किसी भी पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदक की आयु इस विज्ञापन की सूचना तिथि 08.05.2026 को 17 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

6. चयन प्रकिया:–

(क) जीव विज्ञान विषय समूह में उच्चतर माध्यमिक 10+2 परीक्षा में (P.C.B) में प्राप्त प्राप्तांको के आधार पर विकल्प आधारित योग्यता क्रम सूची के अनुसार पर चयन प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी। यदि एक से ज्यादा अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान हैं तो इस स्थिति में जीव विज्ञान ,रसायन विज्ञान, फिर भौतिक भाास्त्र के अंको द्वारा उसे प्राथमिकता दी जावेगी। यदि इस आधार पर भी आवेदकों वरीयता पर निर्णय नही हो पाता हैं, तो अधिक आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी।

(ख) पाठ्यक्रम विकल्प विमर्श (COURSE COUNSELLING) :–

प्रवेश प्रक्रिया एवं Counselling से संबधित समस्त सूचना महाविद्यालय के सूचना पटल एवं बेबसाइट **www.gmcbhopal.net** पर भी उपलब्ध रहेगी। सभी अभ्यर्थियों की स्वंय की जिम्मेदारी है कि समय–समय पर उक्त वेवसाइट का अवलोकन करते रहें। अन्यथा संस्था जिम्मेदार नहीं होगी।

(ग) ऐसे अभ्यर्थी जो योग्यता क्रम के अनुसार अपनी बारी आने पर स्वंय निर्धारित तिथि एवं समय पर अभिलेखों की जांच व निर्धारित तिथि एवं समय पर काउंसलिंग हेतु स्वंय उपस्थित नहीं होते है, तो उनके काउंसलिंग तथा प्रवेश संबंधी सभी अधिकार समाप्त हो जाएगें।

(घ) काउंसलिंग के **मॉपअप चरण में सीट आवंटन** हेतु आरक्षित श्रेणी में उपलब्ध रिक्त सीटों को भरने हेतु निम्नानुसार चक्र का पालन किया जावेगा।

(1) एस0टी0 श्रेणी की खाली सीटों को एस0सी0 श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जावेगा।

(2) एस0सी0 श्रेणी की खाली सीटों को एस0टी0 श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जावेगा।

(3) अगर एस0टी0 और एस0सी0 श्रेणी में आरक्षण के लिये योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं हैं तो रिक्त सीटों को पात्र अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।

(4) यदि पात्र आवेदक उपरोक्त तरीके से तीनों आरक्षित श्रेणी में उपलब्ध न होने पर रिक्त सीटों को पात्र अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।

(5) ई0डव्ल्यू0एस0 की खाली सीटों को अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जावेगा।

7. काउंसलिंग के किसी भी चरण में प्रथम बार सीट आवंटन के उपरांत किसी भी अन्य **पाठ्यक्रम में परिवर्तन नहीं किया जावेगा।**

8. यदि कोई आवेदक प्रवेश पश्चात् पाठ्यक्रम अवधि के दौरान किसी भी कारण से आवंटित सीट छोड़ता है अथवा बिना सूचना दिए लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है, तो इस स्थिति में छात्र/छात्रा का प्रवेश निरस्त

Rkvank
08/06/2026 Coordinator
Paramedical Courses
Gandhi Medical College, Bhopal

DEAN
GANDHI MEDICAL COLLEGE
BHOPAL

कर दिया जावेगा तथा जमा समस्त शुल्क राजसात कर लिया जावेगा। **प्रवेश निरस्त होने या बीच में पाठ्यक्रम छोड़ने की स्थिति में पाठ्यक्रम की पूर्ण शुल्क जमा करने के पश्चात ही मूल–दस्तावेज वापिस किये जावेगें।**

9. प्रवेश के समय रू 5,000/– सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगा। पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात यह राशि छात्र/छात्रा को बिना ब्याज के प्रतिदेय(वापिस) की जायेगी। साथ ही किसी कारणवश छात्र/छात्रा द्वारा अपना पाठ्यक्रम निर्धारित अवधि के पूर्व छोड़ने की स्थिति में सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी। साथ ही छात्र/छात्रा को काउंसलिंग में भाग लेते समय एवं प्रत्येक वार्षिक सत्र शुरू होने के समय सबंधित पाठ्यक्रम की वार्षिक शुल्क का 50 प्रतिशत फीस जमा करना अनिवार्य होगा।

10. (क) छात्र/छात्रा को पृथक से समय–समय पर विश्वविद्यालय/परिषद कार्यालय द्वारा निर्धारित विभिन्न नामांकन शुल्क एवं परीक्षा शुल्क एवं आई0डी0 कार्ड बनवाने हेतु शुल्क राशि रूपये 200/– (डुप्लीकेट बनवाने हेतु शुल्क राशि रूपये 500/–) जमा करना होगा।

(ख) इस संस्थान में सभी पैरामेडिकल पाठ्यक्रम नियमित एवं पूर्णकालिक हैं तथा अध्ययन के दौरान किसी भी अन्य नियमित पाठ्यक्रम में अध्ययन की पात्रता नहीं होगी।

(ग) समस्त शुल्क इस महाविद्यालय की लेखा शाखा में समय पर जमा करना अनिवार्य है अन्यथा विलम्ब से जमा करने की स्थिति में निर्धारित शुल्क के साथ–साथ विलम्ब शुल्क भी देय होगा।

11. संलग्न हेतु आवश्यक अभिलेख सूचीः– आवेदन प्रपत्र के उल्लेखित आवश्यक अभिलेखों की स्वहस्तारित छाया प्रतियॉ, अनुलग्न क्रमांकनुसार आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

12. अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण, विसंगति, पूर्ण, शुल्क विहीन तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन प्रपत्र पूर्णतः अमान्य होगें।

13. प्रवेश वर्ष का शुल्क प्रवेश पत्र में दर्शाई गयी अंतिम तिथि तक निर्धारित माध्यम से जमा करना अनिवार्य है।

14. डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठयकमों के अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित पूर्णः शुल्क निर्धारित समय–सीमा में महाविद्यालय की लेखा शाखा में जमा करना अनिवार्य है। विलम्ब की स्थिति में निर्धारित शुल्क के साथ विलम्ब शुल्क भी देय होगा।

15. आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में प्रतिदेय (वापिस योग्य) नहीं होगा।

16. विद्यार्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया में सीट आवंटन के समय जमा किये जाने वाले समस्त (original) मूल दस्तावेजों को पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक, सम्बधित विभाग में जमा रहेंगें।

समस्त जमा किए जाने वाले दस्तावेजों/अभिलेखों की अलग से 10–10 सेट छायाप्रतियॉ तथा कलर स्कैन pdf एवं jpg/jpeg फाइल, आवेदकों को अपने पास सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि कोर्स अवधि के दौरान कार्यालय में जमा मूल दस्तावेजों रिकार्ड से कभी भी कोई मूल अथवा छायाप्रति प्रदान नहीं की जायेगी। यदि जमा मार्कशीट/ प्रमाणपत्रों की छायाप्रतियों अत्यंत आवश्यकता दर्शाते हुए, किसी विद्यार्थी द्वारा चाही तो उसके लिये विद्यार्थी को आवेदन के साथ 100/– रू की छायाप्रति का शुल्क कार्यालय में व्हाउचर के माध्यम से जमा करना होगा।

17. सह–चिकित्सीय पाठ्यक्रम स्वशासी संस्था का पूर्णतः स्ववित्त–पोषित पाठ्यक्रम है, अतः सभी श्रेणी/संवर्ग के अभ्यार्थियों को प्रवेश के समय एवं समय–समय पर निर्धारित शुल्क पूर्ण रूप से महाविद्यालय की लेखा शाखा में जमा करना होगा।

18. आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के विभिन्न संवर्गों में प्रवेशित अभ्यर्थियों को म.प्र. शासन द्वारा अधिसूचित विभिन्न योजनाओं का लाभ/शासकीय छात्रवृत्ति पोर्टल के अनुसार संचालित योजनाओं के अधीन पात्रता नियमानुसार हो सकती है। यदि संबंधित विभाग द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं कि जाती है तो छात्रों को समस्त शुल्क स्वयं वहन करते हुये निर्धारित समय–सीमा में पाठ्यक्रम शुल्क जमा करना अनिवार्य है।

19. पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क की संबंधित विभाग द्वारा छात्रवृत्ति के माध्यम से छात्रवृत्ति की पात्रता धारित वाले छात्रों को पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती हैं। यदि म.प्र. शासन द्वारा सह–चिकित्सा पाठ्यक्रम के शुल्क में वृद्वि की जाती है और संबंधित विभाग द्वारा शुल्क में की गई वृद्धि के अनुरूप शुल्क की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है तो छात्र को स्वयं पूर्ण शुल्क वहन करते हुये निर्धारित

08/06/2026
Co-ordinator
Paramedical Courses
Gandhi Medical College, Bhopal

DEAN
GANDHI MEDICAL COLLEGE
BHOPAL

समय–सीमा में पाठ्यक्रम शुल्क जमा करना अनिवार्य है। इस संस्था में प्रवेश के समय स्कॉलरशिप के पात्र अभ्यर्थी को पिछले संस्था वाले स्कॉलरशिप को बंद कराना अनिवार्य है।

20. ऐसे सभी छात्र–छात्राओं को जिन्हें शिक्षण शुल्क में छूट की पात्रता होगी उन्हें संबंधित विभाग म.प्र. शासन के निर्धारित छात्रवृत्ति फार्म, निर्धारित समयावधि प्रवेश से एक माह तक में आवेदन करना होगा एवं समय–समय पर छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरना होगा। छात्रवृत्ति फार्म न भरे जाने के कारण संबंधित छात्र–छात्राओं पाठ्यक्रम शुल्क स्वयं वहन करते हुये निर्धारित समय–सीमा में पाठ्यक्रम शुल्क जमा करना अनिवार्य है।

21. चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं लोकस्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अधीन संचालित संस्थाओं में सेवारत कर्मचारियों हेतु 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित है। विभागीय सेवारत अभ्यार्थियों को पाठ्यक्रम में आवेदन किए जाने संबंधी सूचना सक्षम अधिकारी को देनी होगी काउंसलिंग के समय **संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुमति पत्र/ अनापत्ति प्रमाण पत्र मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य है,** अन्यथा की स्थिति में आवेदक का आवेदन अमान्य किया जाएगा तथा उसे चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने एवं प्रवेश संबंधी कोई अधिकार नहीं होगा।

22. काउंसलिंग के समय जिला प्रशासन द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मूल निवासी प्रमाण पत्र (डिजिटल) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

23. काउंसलिंग के समय एवं छात्रवृत्ति हेतु डिजिटल जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

24. आरक्षित श्रेणी के सभी उम्मीदवारों को अभिभावक/पालक की समस्त स्त्रातों से प्राप्त आय संबंधी नवीनतम **आय प्रमाण पत्र** शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही जिन विद्यार्थियों के अभिभावक/पालक शासकीय कर्मचारी हैं उन्हें उनके विभाग में संबंधित आयकर फार्म 16 की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

25. आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों जिन्हें शासन द्वारा छात्रवृत्ति कि पात्रता होगी उनसे भी पाठ्यक्रम अवधि के दौरान बीच में सीट छोड़ने पर **या** प्रशिक्षण अवधि जिसमें वह अनुपस्थित रहा, पाठ्यक्रम का शेष का पूरा शुल्क वसूला जाएगा।

26. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ –07–11 /2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 18.07.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटा के अंतर्गत 10 प्रतिशत आरक्षण की पात्रता होगी। संबंधित आवेदक को शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार नवीनतम प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

27. आरक्षित वर्ग के छात्र छात्रा जिन्हें शासन द्वारा आय के आधार पर छात्रवृत्ति की पात्रता है, को एक पाठ्यक्रम के अलावा अन्य पाठयकमों में दुबारा प्रवेश प्राप्त करने पर पुनः छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। उन्हें समस्त शुल्क स्वयं वहन करना होगा।

28. ऐसे विद्यार्थी जिन्होने विगत वर्षों में सह–चिकित्सीय पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर अनिवार्य शुल्क में शासकीय योजनाओं के अंतर्गत छूट प्राप्त की गई है, उन्हें इस सत्र में पाठ्यक्रम के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर उपरोक्त शासकीय योजनाओं के अंतर्गत छूट की पात्रता नियमानुसार नहीं होगी ऐसे छात्र छात्राओं का समस्त अनिवार्य शुल्क स्वयं जमा करने होगें।

29. गणवेशः पैरामेडीकल पाठ्यक्रम के छात्र/छात्राओं को संस्था द्वारा निर्धारित हल्का नीले रंग की एप्रेन एवं नाम पट्टिका धारण करना अनिवार्य है, जिसका व्यय उन्हें स्वयं वहन करना होगा। महाविद्यालय परिसर में बिना गणवेश, नाम पट्टिका के पाये जाने पर आर्थिक दण्ड स्वरूप शुल्क रूपये 200/– के साथ–साथ आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

30. सह–चिकित्सीय पाठ्यक्रम के छात्र/छात्राओं हेतु वर्तमान में महाविद्यालय में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं।

31. सह–चिकित्सीय पाठ्यक्रम पूर्णकालीन पाठ्यक्रम है अतः अध्ययन एवं प्रशिक्षण अवधि में किसी भी अन्य शिक्षण संस्थान या अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करके पूर्णकालीन अध्ययन करना या किसी अन्य संस्थान में

RKVand
08/06/2020
Co-ordinator
Paramedical Courses
Gandhi Medical College, Bhopal

DEAN
GANDHI MEDICAL COLLEGE
BHOPAL

पूर्णकालीन सेवायें प्रदान करना वर्जित है। इसके लिये प्रवेश के समय 100 रूपये के स्टांप शुल्क पर नोटरी के साथ शपथ–पत्र जमा करना अनिवार्य है।

32. **अनुशासन नियंत्रणः**–सभी छात्र/छात्रा, संस्था प्रमुख के अनुशासिक नियंत्रण में रहेंगे तथा महाविद्यालय के नियमों का पालन करना आवश्यक होगा, यदि किसी छात्र छात्रा का आचरण चिकित्सा महाविद्यालय के नियमों के विपरीत पाया गया तो, उसके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही, अनुशासन समिति की अनुशंसा पर की जावेंगी या कभी भी उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। यदि किसी भी कारणवश प्रवेश निरस्त किया जाता है, तो कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जावेगा तथा पाठ्यक्रम की शेष राशि को भी जमा करना अनिवार्य होगा।

किसी भी छात्र/छात्राओं को अनुशासहीनता अथवा आचरणहीनता की श्रेणी पाये जाने पर महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।

33. यद्यपि सभी पाठ्यक्रम रोजगारोन्मुखी है, फिर भी महाविद्यालय किसी भी छात्र/छात्रा को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।

34. वचन पत्र, प्रवेश के समय महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शपथ पत्र(नोटरी वाला) 100 रूपये(सौ रूपये) मूल्य के स्टाम्प पत्र पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

35. आवेदन पत्र में प्रयुक्त स्वयं के फोटो की प्रतियां का उपयोग ही महाविद्यालय, विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति, सह चिकित्सा परिषद आदि संबंधी प्रपत्रों में करना अनिवार्य है, अतः छात्र छात्राओं द्वारा ऐसे फोटो पर्याप्त संख्याओं में संरक्षित करना उचित होगा। अभ्यार्थी का कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साफ एवं स्पष्ट होना चाहिए। धुधंला एवं अस्पष्ट फोटो वाला फार्म स्वीकार नहीं होगा। दोनो कान दिखाई पडने वाला कलर, **फोटोग्राफ 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, फोटोग्राफ के नीचे नाम एवं दिनांक अंकित होनी चाहिएं फोटो के पीछे का बैकग्राउंड वाइट (सफेद) होना चाहिए।** आवेदक ने जो फोटोग्राफ आवेदन फार्म में लगाया है वही फोटोग्राफ पुस्तकालय, छात्रवृत्ति , परीक्षा एवं अन्य जो भी भरवायें जायेंगें सभी में वही फोटो लगाना होगा। किसी भी स्थिति में बदले हुए फोटाग्राफ स्वीकार नहीं किए जाएगे।

38. किसी प्रकार के विधि प्रकरण का न्याय क्षेत्र भोपाल न्यायालीन क्षेत्र के अंतर्गत होगा।

39. प्रवेशित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय/पैरामेडिकल काउंसिल के नियमानुसार सैद्धांतिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति एवं प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये न्यूनतम 85 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है अन्यथा उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के साथ– साथ म0प्र0 शासन से मिलने वाले लाभ से भी वंचित हो सकते हैं।

40. काउंसलिग के समय (क) निम्नलिखित मूल दस्तावेजों के साथ–साथ उसकी स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के 02 सेट निम्नलिखित क्रमानुसार संलग्न कर, **व्यक्तिगत फाईल फोल्डर** में रखकर अपने साथ लायें तथा (ख) निम्नलिखित अभिलेखों को पृथक–पृथक, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो, अंगूठा के निशान का JPEG/JPG (Size- 200 KB से 220 KB तक) फाईल में स्कैन कर पैन ड्राईव मे सेव करके लाना अनिवार्य है:–

1. एम0पी0 ऑनलाईन आवेदन की पावती की छायाप्रति।
2. 10 वीं परीक्षा की अंक सूची।
3. 12 वीं (10+2) हायर सेकेण्डरी परीक्षा की जीव विज्ञान समूह की अंक सूची।
4. B.Sc.(Biology with Zoology) Marksheet (For Diploma in P.G. Perfusion Technology)
5. डिजिटल मूल निवासी प्रमाण पत्र।
6. डिजिटल जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए)
7. नवीनतम डिजिटल E.W.S. प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
8. नवीनतम डिजिटल आय प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/EWS) के आवेदकों के लिए)
9. आई0डी0 प्रूफ(आधार कार्ड/वोटर कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट)
10. डिजिटल परिवार समग्र आई.डी.
11. पासपोर्ट साईज के 10 रंगीन फोटो जिसमें अभ्यर्थी के दोनो कान स्पष्ट दिखाई दे रहे हों एवं अभ्यर्थी का नाम एवं दिनांक लिखा हो (03 माह से अधिक पुराने नहीं हों)।

RKvam 08/06/2028 Co-ordinator Paramedical Courses Gandhi Medical College, Bhopal

DEAN GANDHI MEDICAL COLLEGE BHOPAL

12. अनापत्ति प्रमाण–पत्र(N.O.C)केवल विभागीय कोटे के उम्मीदवारों के लिये (काउंसलिंग के समय अनिवार्य)
13. अनिरंतर अध्ययन (गैप संबंधित शपथ पत्र काउंसलिंग के समय यदि लागू हो)
14. स्थानातंरण प्रमाण पत्र (T.C.) (काउंसलिंग के समय अनिवार्य)
15. माइग्रेशन प्रमाण पत्र (काउंसलिंग के समय)
16. विकलांगता प्रमाणपत्र–Unique Disability ID(UDID) (यदि लागू हो तो)
17. आवेदक के अभिभावक यदि शासकीय कर्मचारी है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया नवीनतम आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

कोआर्डिनेटर
पैरामेडिकल पाठ्यक्रम
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल

अधिष्ठाता
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल

पृ0 क्रमांक 17262-69 /एम.सी./पैरा0/2026 भोपाल, दिनांकः 8 /05/2026

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. आयुक्त, जनंसपर्क, विभाग, बाणगंगा, भोपाल।
3. अध्यक्ष, स्वशासी समिति, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
4. रजिस्ट्रार, म0प्र0 सह–चिकित्सीय परिषद्, भोपाल।
5. रजिस्ट्रार, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
6. रजिस्ट्रार, म0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
7. मुख्य परिचालक अधिकारी, एम0पी0 ऑनलाईन लिमिटेड, भोपाल, म0प्र0।
8. नोटिस बोर्ड– पैरामेडिकल शाखा, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
9. प्रभारी अधिकारी, महाविद्यालय वेवसाईट/आई0टी0 शाखा, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञापन को महाविद्यालय की वेवसाईट पर आज ही अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

कोआर्डिनेटर
पैरामेडिकल पाठ्यक्रम
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल

अधिष्ठाता
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल

नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो
हस्ताक्षर
अंगूठे का निशान

आवेदन पत्र का प्रारूप
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल
सह– चिकित्सीय पाठ्यक्रम (Paramedical Courses) में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र शैक्षणिक सत्र 2025–26

नोट– आवेदक अपना एवं पिता का नाम, जन्मतिथि 10 वीं की अंकसूची के अनुसार ही भरें।

1. आवेदक का नाम (अंग्रेजी के केपिटल लेटर में)..
2. आवेदक का नाम(हिन्दी में)..
3. पिता/पति का नाम (अंग्रेजी के केपिटल लेटर में)..
4. माता का नाम (अंग्रेजी के केपिटल लेटर में)..
5. जन्म तिथि (हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची के अनुसार)– ..../.............../...............
6. विज्ञापन की दिनांक को आवेदक की आयु– वर्ष............ माह............दिन............
7. आवेदक का लिंग (पुरूष/महिला)......................8. ईमेंल आई0डी..
9. वर्ग–अनारक्षित/EWS/OBC/SC/ST –.................................. 10. धर्म..................................
11. क्या आप म0प्र0 के मूल निवासी हैं–हॉ/नहीं......................12. सेवारत अभ्यर्थी हैं–हॉ/नहीं......................
13. विकलांगता– हॉ/नहीं..........................(हॉ की स्थिति में विकलांगता प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
14. वैवाहिक स्थिति–विवाहित/अविवाहित...............15. अभ्यर्थी का मोबाइल नंबरः–..................................
16. आधार कार्ड नंबर –...17. परिवार का समग्र आई0डी0..................................
18. पिता/पति/पालक का मोबाइल नंबर.................................
19 वर्तमान निवास स्थान का पता..
....जिला................................राज्य..............................पिन कोड..........................
20. स्थायी पता–..
....जिला................................राज्य..............................पिन कोड..........................
21. शैक्षणिक योग्यताऐं/अहर्ता :– (प्रमाण– पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें–

क्र.	अहर्ता	संस्था/बोर्ड/ वि.वि का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	रोल नंबर	विषय	प्राप्तांक	पूर्णाक	कुल प्राप्तांक	प्रतिशत
1	**10th**								
2	**12th**				जीव विज्ञान (Biology)				
					भौतिक विज्ञान (Physics)				
					रसायन शास्त्र (Chemistry)				
3	**BSc** (केवल डिप्लोमा पी0जी0 परफ्यूजन टेक्निशियन के उम्मीदवारों के लिये								

RICVanh
08/05/2026
Co-ordinator
Paramedical Courses
Gandhi Medical College, Bhopal

DEAN
GANDHI MEDICAL COLLEGE
BHOPAL

सह– चिकित्सीय पाठ्यक्रम (Paramedical Courses)
शैक्षणिक सत्र 2025–26
Check List

स्व–प्रमाणित छाया प्रतियों को निम्नांकित क्रमानुसार ही संलग्न करें।

क्र0	दस्तावेज	संलग्न हाँ/नहीं	रिमार्क
01	एम0पी0 ऑनलाईन आवेदन की पावती की छायाप्रति		
02	10 वीं परीक्षा की अंक सूची। (जन्मतिथि के लिये)		
03	12 वीं (10+2) हायर सेकेण्डरी परीक्षा की जीव विज्ञान समूह की अंक सूची।		
04	B.Sc.(Biology with Zoology) Marksheet (For Perfusionist)		
05	डिजिटल मूल निवासी प्रमाण पत्र		
06	डिजिटल जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए)		
07	नवीनतम E.W.S.प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)		
08	नवीनतम आय प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए)		
09	आई0डी0 प्रूफ(आधार कार्ड/वोटर कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट)		
10	परिवार समग्र आई.डी.		
11	पासपोर्ट साईज के 10 फोटो नाम एवं दिनांक लिखा स्वयं के जो 03 माह से अधिक पुराने न हों		
12	अनापत्ति प्रमाण–पत्र (N.O.C.) केवल विभागीय कोटे(In Service candidates) के उम्मीदवारों के लिये अनिवार्य है। (काउंसलिंग के समय)		
13	अनिरंतर अध्ययन (गैप संबंधित शपथ पत्र काउंसलिंग के समय) यदि लागू हो		
14	स्थानातंरण प्रमाण पत्र (T.C.) (काउंसलिंग के समय)		
15	माइग्रेशन प्रमाण पत्र (काउंसलिंग के समय)		
16	विकलांगता प्रमाणपत्र–Unique Disability ID(UDID) (यदि लागू हो तो)		
17	आवेदक के अभिभावक यदि शासकीय कर्मचारी है, तो विभाग से जारी किया गया नवीनतम आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।		

प्रवेश के समय समस्त छाया प्रतियां मूल अभिलेखों से सत्यापन के अनुसार ही मान्य होंगी।

//घोषणा–पत्र//

- मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- शासकीय छात्रवृत्ति पोर्टल या म0प्र0 शासन द्वारा अधिसूचित सभी योजना के लाभ से संबंधित पात्रता की जांच मैंने अपने स्तर पर कर लिया है। उक्त लाभ नहीं मिलने पर समस्त फीस निर्धारित समय पर मैं अपने व्यक्तिगत वहन कर जमा करूंगा/करूंगी। छात्रवृत्ति या किसी योजना का लाभ नहीं मिलने पर मैं स्वंय जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी एवं इस संबंध में गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और नाही ही मेरे विरूद्व इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन हैं।

स्थान.. **आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर**

दिनांक...

RKVarma
08/06/2025

Co-ordinator
Paramedical Courses
Gandhi Medical College, Bhopal

DEAN
GANDHI MEDICAL COLLEGE
BHOPAL